सं.31011/2/2015-स्था.(क-IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 27 जनवरी, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषयः एलटीसी पर प्रीमियम ट्रेनों द्वारा यात्रा के स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि एलटीसी का लाभ उठाते समय भारतीय रेलवे द्वारा संचालित प्रीमियम ट्रेनों द्वारा यात्रा करने की स्वीकार्यता के स्पष्टीकरण के संबंध में इस विभाग को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच करवाई गई, तथा यह निर्णय लिया गया है कि एलटीसी पर प्रीमियम ट्रेनों द्वारा यात्रा स्वीकार्य नहीं है। अतः प्रीमियम ट्रेनों द्वारा की गई यात्रा/यात्राओं के लिए भारतीय रेलवे द्वारा वसूल किए गए किराए की एलटीसी के प्रयोजन से प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में जहां केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा ऐसी प्रीमियम ट्रेनों में पहले ही एलटीसी यात्रा की जा चुकी है तो वहां ट्रेन-यात्रा की पात्र श्रेणी के लिए स्वीकार्य सामान्य किराया अथवा भुगतान किए गए वास्तविक किराए, जो भी कम हो, के ही रेल किराए की प्रतिपूर्ति की जाए।

हस्ताक्षर

(बी. बंद्योपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपिः

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
10. एनआईसी, डीओपीटी को इस अनुरोध के साथ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए (कार्यालय ज्ञापन/आदेश-स्थापना-एलटीसी नियम)